अपील भरण पोषण संख्या 08/2017 श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व. श्री रामकुमार निवासी सादुलशहर सडक–गुरूद्वारा रोड,वार्ड संख्या 05 पुलिस थाना सादुलशहर, डाकघर सादुलशहर–335062 जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. सुभाष चन्द्र पुत्र रामकुमार, जाति मोची निवासी सादुलशहर 2. भंवर लाल कासौटियां, उपखण्ड मजिस्ट्रेट व पीठासीन अधिकारी, भरण पोषण अधिकरण उपखण्ड सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.01.2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थीया कमला देवी उपस्थित नहीं हुई। रेस्पोडेंट सुभाष चन्द्र उपस्थित आए एवं रेस्पोडेंट द्वारा लिखिल बहस पेश की है, जो शामिल पत्रावली की गई। रेस्पोडेंट की पुनः बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

रेस्पोडेंट संख्या 01 सुभाष चन्द्र का कथन है कि उसके अतिरिक्त उसके तीन भाई क्रमशः पृथ्वीराज, हुकमचंद और त्रिलोकचंद चायल भी है। अप्रार्थी को प्रार्थीया कमलादेवी व उसके अन्य पुत्रों ने एक राय होकर जद्दी दुकान व कारोबार से बिना हिस्सा दिये निकाल रखा है। प्रार्थी के उक्त तीनों भाईयों में एक सरकारी शिक्षक है व अन्य के पास अच्छे रोजगार के साधन है और प्रार्थीया कमलादेवी के खुद के पास व्यवसायिक दुकान है और दुकान में लगभग 10 लाख का माल मौजूद है। इस प्रकार अपीलार्थीया को प्रार्थी से भरण पोषण की आवश्यकता नही है। उसका यह भी कथन है कि अपीलार्थीया अपने तीनों पुत्रों पृथ्वीराज जो की सरकारी अध्यापक है व हुकमचन्द– कारोबारी दुकानदार है और त्रिलोकचंद– अधिवक्ता है, के साथ संयुक्त रूप से रहती है। अपीलार्थीया के पास उसके मृतक पति रामकुमार द्वारा छोडा गया एक मकान व कारोबारी दुकान है। अप्रार्थी रेस्पोडेंट के परिवार में दो अवयस्क बच्चें और पत्नी है। अप्रार्थी किराये की दुकान में जूते मरम्मत करने का काम करता है। अप्रार्थी मुश्किल से 3000/– कमा पाता है इस प्रकार अपन भी मुश्किल से भरण पोषण कर पाता है और उसने कभी अपनी माता/परिवार के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है।

उसका आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थीया अपना भरण पोषण करने में पूर्णतया समर्थ है और उसने अपने तीनों पुत्रों के बहकावे में आकर , उसके विरूद्ध यह अपील पेश की है जो खारिज की जावे।

मैने रेस्पोडेंट के उक्त तर्को पर मनन किया और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावाली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने यह अपील उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर के आदेश दिनांक 25.07.2017 की अप्रसन्नता से इस न्यायालय में दिनांक 11.10.2017 को पेश की है, जिसके द्वारा अपीलार्थीया (प्रार्थीया) का प्रार्थना पत्र दिनांक 09.05.2016 अन्तर्गत धारा 4 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर द्वारा दिनांक 25.07.2017 को खारिज करते हुए निम्न प्रकार आदेश पारित किया है

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मेरे द्वारा स्वयं जाकर मौका देखा गया कि प्रतिवादी व वादिया एक ही घर में अलग–अलग रहते है। अतः वादिया के पुश्तैनी दुकान पर काबिज व अन्य पुत्रों से भरण पोषण किये जाने के कारण मैं वादिया को भरण पोषण दिया जाना उचित नहीं समझता हूँ। अतः वादिया का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सादुलशहर

उक्त आदेश की अपील प्रार्थीया द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 05.10.17 को पेश की गई है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16(1) के तहत आदेश प्राप्ति के 60 दिवस में अपील पेश करने का प्रावधान है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बने नियम 2010 के नियम **13(4) के तहत प्रत्येक आदेश चाहे व अंतिम हो या अंतरिम हो, उसकी प्रति व्यक्तिगत रूप से या उन्हें आदेशिका तामिलकर्त्ता के माध्यम से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा आवेदक को और विरोध पक्षकार को भिजवाये जाने का प्रावधान है।** प्रार्थी ने आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि की प्राप्ति हेतु दिनांक 10.08.2017 को प्रार्थना पत्र देकर 24.08.2017 को प्रमाणित प्रति प्राप्त कर, यह अपील दिनांक 05.10.2017 को पेश की है। रेस्पोडेंट द्वारा भी मियाद के सम्बन्ध में कोई आपत्ति पेश नहीं की गई है। **अपीलार्थीया को अपीलकृत आदेश डाक द्वारा भिजवाया जाना नहीं पाया जाता है। चूंकि उक्त अपील आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति की दिनांक से 60 दिवस के भीतर पेश की गई है, इसलिए इसे अंदर मियाद माना जाना उचित है। अतः इसका गुण दोष पर इसका निस्तारण किया जाना उचित होगा।**

इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अपीलार्थीया अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और इस कारण अपने पुत्र रेस्पोडेंट सुभाष चन्द्र से भरण पोषण की हकदार है अथवा नहीं? इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 4 निम्न प्रावधान है :

4. माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण–
(1) माता– पिता को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठ नागरिक, जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है–
(i) माता–पिता या पितामही, पितामाह के विषय में अपने सन्तानो में से एक या अधिक के विरूद्ध, जो अव्यस्क नही है।
(ii) सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक के मामले में धारा 2 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट अपने ऐसे सम्बन्धी के विरूद्ध, धारा 5 के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

(2) वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करने हेतु सन्तानो या सम्बन्धी, यथास्थिति, की आबद्धता का विस्तार ऐसे नागरिको की आवश्यकता तक है, जिससे वरिष्ठ नागरिक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(3) सन्तानो की उसके माता–पिता का भरण पोषण करने की आबद्धता का विस्तार ऐसे माता–पिता या पिता या माता या दोनो, यथास्थिति की आवश्यकता तक है, जिससे ऐसे माता पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(4) कोई व्यक्ति, जो वरिष्ठ नागरिक का सम्बन्धी है और जिसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण करेगा, यदि वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति का कब्जाधारी है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति उतराधिकार में प्राप्त करेगा:

परन्तु जहां एक से अधिक सम्बन्धी वरिष्ठ नागरिक की सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करने के हकदार है, वहां भरण पोषण ऐसे सम्बन्धी द्वारा उस अनुपात में सन्देय होगा, जिसमें वे उसकी सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करेंगें।

उक्त धारा के तहत माता पिता जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्व अधीन सम्पत्ति से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है तो वह अपनी संतानों से भरण पोषण प्राप्त कर सकते है। अपीलार्थीया स्वयं ने अधनीस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.05.2016 के पैरा संख्या 06 में निम्न प्रकार से अंकित किया है :

यहकि प्रार्थीया अपने तीन पुत्रों पृथ्वीराज, हुकमचंद व त्रिलोकचंद के साथ संयुक्त रूप से रहती है एवम उक्त के द्वारा ही संयुक्त रूप से प्रार्थीया की सार–संभाल की जाती है। प्रार्थीया व उसके उक्त तीनों पुत्रों ने ही अप्रार्थी का विवाह किया था और उसके बच्चों व पत्नी के बिमार हो जाने पर प्रार्थीया ने ही उनका उपचार ईलाज करवाया था लेकिन प्रार्थीया के इतना कुछ कर देने के बाद भी अप्रार्थी अपने विधिक दायित्व से विमुख हो गया है और अप्रार्थी ने सीधे तौर पर प्रार्थीया का भरण पोषण व सार संभाल करने से साफ इंकार कर दिया है।

उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार माता–पिता अपनी संतानो से तभी भरण पोषण प्राप्त कर सकते है, यदि वे अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो तो ऐसी दशा में धारा 9(2) के अनुसार 10,000/– तक भरण पोषण दिलाये जाने का प्रावधान है। अपीलार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.05.2016 के अनुसार अपीलार्थीया व रेस्पोडेंट सुभाष के मध्य माता व पुत्र का सम्बन्ध है और अपीलार्थीया के प्रार्थना पत्र के

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अनुसार उसके तीन पुत्र पृथ्वीराज, हुक्मचंद और त्रिलोकचंद भी है, जो उसकी सार संभाल कर रहे हैं। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीया को पर्याप्त भरण पोषण मिल रहा है और इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अन्य संतानों के द्वारा अपीलार्थीया का भरण पोषण किये जाने एवं उसका स्वयं पुश्तैनी दुकान पर काबिज होने के कारण, आय के पर्याप्त स्त्रोत मानते हुए अपीलार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्कता प्रतीत नहीं होती है, इसलिए उसकी अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया की अपील खारिज की जाती है और उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर का आदेश दिनांक 25.07.2017 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थीया व रेस्पोडेन्ट को थी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर